अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 1/2016- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2015-स्वच्छ ऊर्जा उपकर तारीख 1 मार्च, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 164(अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार